माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1991-92

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

NIEPA DC
D08961

प्रकाशक :
मक शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8961
Date 9-1-96

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1991-92 OF SECONDARY EDUCATION

There is a Vast arrangement of Providing Secondary Education in the State. During the reporting period 1362 Middle, 2104 High and 385 Secondary Schools (including 9 Navodaya Vidyalyas) were in existence in the State in which 510997, 1251309 and 422399 students received education respectively. During this period the percentage of students reading in 6th to 8th Classes in the age-group of 11–13 was 74.5 boys and 51.9 girls and the percentage of Scheduled Castes students was 67.0 boys and 39.9 girls. Similarly, the percentage of students studying in 9th and 10th classes in the age-group of 14–15 was 64.9 boys and 34.5 girls and the percentage of scheduled castes students in these classes was 49.1 boys and 18.4 girls. The number of teachers imparting education in Middle, High and Secondary Schools was 12318, 36124 and 11829 respectively. The Education Facilities exists within a radious of 1.90 Km. and 2.35 Km. in middle and High Schools respectively.

During the period under report 29 Primary, 63 Middle and 72 High Schools were upgraded to middle, High and Senior Secondary Schools respectively.

In the year 1991–92, Rs. 19503.13 lakhs were spent on Secondary Education. The expenditure of Non-Govt. Schools to the extent of 75% of the deficit is met by the State Government in form of maintenance grant. During this period an amount of Rs. 1578.15 lakhs was given to Non-Government Schools in form of grant.

Free Education is provided from 6th to 8th Classes in all Govt. Schools of the State. Besides girls are provided free education upto 10+2 classes in all Govt. Schools. During the reporting period free stationery worth Rs. 60.00 lakhs was provided to 102000 students belonging to Scheduled Castes and weaker Section. Rs. 34.50 lakhs were provided for giving free uniforms to 66000 Harijan Girls students.

Special coaching is given to Scheduled Castes students of 9th and 10th classes in the subjects of Mathematics, English and Science for three months. Rs. 17.64 lakhs were provided for this purpose in 1991-92.

During the reporting period Rs. 483.29 lakhs were spent on various scholarships out of which Rs. 404.34 lakhs were spent on student belonging to Scheduled/ Backward Classes in the State.

Assistance to the tune of Rs 470000/- was given from Teachers' Welfare Fund to teachers and their dependents in indigent circumstances.

A State Council of Educational Research and Training has been set up for guidance of the Educational Institutions, administrators connected with the Education and Teachers through the activities of standardization of education, innovation, research studies and training.

Rs. 36 lakhs were arranged for purchase of Dual Desks for the students of Secondary Schools.

According to the rules of Defence Ministry of Government of India Cadets are given Military

Training in the three wings of Navy, Military and Air of Army under N.C.C. Project. During the year under report number of Junior Division Cadets was 16550.

During the year under report Smt. Shanti Rathee held the charge of Minister for education and Sh. J. D. Gupta holds the office of Financial Commissioner and Secretary of Education Department.

Smt. Manju Gupta, I.A.S. worked as Director of Secondary Education in this period.

माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1991–92 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 1362 मिडल, 2104 उच्च तथा 385 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जिनमें 9 नवोदय विद्यालय हैं) चल रहे हैं जिनमें क्रमशः 510997, 1251309 तथा 422394 छात्रों ने शिक्षा ग्रहण की। इस अवधि में 11–13 आयु वर्ग के कक्षा 6–8 में पढ़ने वाले कुल छात्रों की प्रतिशतता 74.5 लड़के तथा 51.9 लड़कियां और अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता 67.0 लड़के और 39.9 लड़कियां थी। इसी प्रकार 14–15 आयु वर्ग के नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले कुल छात्रों की प्रतिशतता 64.9 लड़के तथा 34.5 लड़कियां थी और अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशतता 49.1 लड़के और 18.4 लड़कियां थी। वर्ष 1991-92 में मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या क्रमशः 12318, 36124 तथा 11829 थी। मिडल और उच्च शिक्षा सुविधा 1.90 कि०मी० तथा 2.35 कि०मी० की परिधी में उपलब्ध है।

रिपोर्टाधीन अवधि में 29 प्राथमिक, 63 मिडल और 72 उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर क्रमशः मिडल, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया गया।

वर्ष 1991–92 में माध्यमिक शिक्षा पर 19503.13 लाख रुपये व्यय किये गये। रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को अनुदान के रूप में 1578.15 लाख रुपये की राशि दी गई। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा 10 जमा 2 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अनुसूचित जाति तथा

कमजोर वर्ग के 1,02,000 छात्र/छात्राओं को 60.00 लाख रुपये की मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान की गई । 66,000 हरिजन जाति की छात्राओं को मुफ्त वर्दी देने के लिए 34.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है । वर्ष 1991-92 में इसके लिए 17.64 लाख रुपय की व्यवस्था की गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में 483.29 लाख रुपये विभिन्न छात्रवृत्तियों पर व्यय किये गये जिसमें से 404.34 लाख रुपये अनूसूचित जाति/पिछड़ी जातियों के छात्रों पर व्यय किये गये ।

विपदाग्रस्त अध्यापकों/उनके आश्रितों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कोष से 4,70,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

शिक्षा स्तर को समुन्नत करने सम्बन्धी क्रियाकलापों, नयी पद्धति, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की हुई है ।

माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के डयूल डैस्क खरीदने के लिए 36 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार एन०सी०सी०परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल और वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में कैडिटों को दिया जाता है । रिपोर्टाधीन अवधि में जूनियर डिविजन के कैडिटस की संख्या 16,550 थी ।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्रीमति शान्ति राठी, शिक्षा मन्त्री तथा श्री के० डी० गुप्ता, आई०ए०एस० ने शिक्षायुक्त के रूप में कार्य किया । निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा के पद पर श्रीमति मन्जू गुप्ता, आई०ए०एस० ने कार्य किया ।

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1991–92 में श्रीमति शान्ति राठी, शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन थी। शिक्षा वित्तायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री जे0 डी0 गुप्ता0, आई०ए०एस० तथा उप-सचिव के पद पर श्री एन० आर० गोयल, आई०ए०एस० ने कार्य किया।

निदेशालय स्तर पर

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा के पद पर श्रीमति मंजू गुप्ता, आई0ए0एस0 ने कार्य किया। निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा को सहयोग दिया :–

क्रमांक	पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	निदेशक, एस०आर०सी०	1
2.	संयुक्त निदेशक, विद्यालय	1
3.	ओ० एस० डी० (वि0)	1
4.	प्रशासन अधिकारी (विद्यालय)	1
5.	उप निदेशक	6
6.	सहायक निदेशक	7
7.	युवा एवं खेल अधिकारी	1
8.	मुख्य लेखा अधिकारी	1
9.	बजट अधिकारी (विद्यालय)	1
10.	रजिस्ट्रार शिक्षा (विद्यालव)	1
11.	सहायक जिला न्यायवादी	1

जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालय शिक्षा का प्रशासन, नियंत्रण और विकास का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं। जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भली भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान परामर्श दाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल-कूद) भी नियुक्त है।

विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता हैं। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1991–92 में माध्यमिक शिक्षा पर 19503.13 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसमें से योजनेत्तर पक्ष पर 17167.41 लाख

रुपये तथा योजना पक्ष पर 2335.72 लाख रुपये व्यय हुये। वर्ष 1990-91 में माध्यमिक शिक्षा पर 15874.98 लाख रुपये की राशि खर्च की गई जिसमें से योजनोत्तर पक्ष पर 14817.57 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा योजना पक्ष पर 1057.41 लाख रुपये व्यय हुए।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों के घाटे की 75% तक की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 281.83 लाख रुपये की राशि दी गई।

कोठारी अनुदान के अन्तर्गत इन विद्यालयों को 476.95 लाख रुपये की राशि दी गई। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अराजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन, मकान, किराया भत्ता, शहरी प्रतिपूर्ति भत्ता तथा डी० ए० इत्यादि के बकाया के भुगतान पर 778.67 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। राज्य में जमा 2 स्तर पर छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अतः सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों की छात्राओं की फीस माफ करने के कारण हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए 31.15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि में कुछ अन्य संस्थाओं को भी अनुदान दिये गये जो निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	संस्थान	राशि (लाख रुपय में)
1.	साकेत मिडल विद्यालय, चण्डी मन्दिर	2.50
2.	संस्कृत महाविद्यालय	3.50
3.	हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार हीयरिंग एंड स्पीच हैण्डीकैप्ड	4.12

अध्याय दूसरा

माध्यमिक शिक्षा

राज्य में माध्यमिक शिक्षा छठी से बारहवी कक्षा तक दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य में मिडल विद्यालय, उच्च विद्यालय तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, जिसका निम्न अनुसार वर्णन है:—

मिडल शिक्षा

राज्य में मिडल शिक्षा छठी से आठवी कक्षा तक दी जाती है। इसके लिए राज्य में अलग से मिडल विद्यालय हैं तथा इसके विरूद्ध छठी से आठवी तक की कक्षाएं उच्च विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चलाई जा रही है। वर्ष 1991–92 में 29 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर मिडल विद्यालय किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में मिडल स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

मिडल विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	1061	161	1223
गैर–सरकारी	124	15	139
	1185	177	1362

राज्य में मिडल शिक्षा सुविधा 1.90 कि0मी0 की परिधी में उपलब्ध है। रिपोर्टाधीन अवधि में मिडल विद्यालय तथा मिडल स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	281854	229143	510997
स्तर अनुसार	453615	286941	740556

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	54504	43196	97700
स्तर अनुसार	77522	41906	119428

रिपोर्टाधीन अवधि में 11–13 आयु वर्ग के पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार रही :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्रों की प्रतिशतता	74.5	51.9	63.7
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	67.0	39.9	54.1

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मिडल विद्यालयों तथा मिडल स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	7415	4903	12318
स्तर अनुसार	11601	7204	18805

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	512	169	681
स्तर अनुसार	417	138	555

उच्च शिक्षा

राज्य में उच्च शिक्षा नौवीं और दसवीं कक्षों में दी जाती है। इसके लिए राज्य में उच्च विद्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त नौवीं और दसवीं की कक्षाएं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती है। वर्ष 1991–92 में 63 राजकीय मिडल विद्यालयों का स्तर बढ़ा कर उच्च विद्यालय किया गया।

इसके अतिरिक्त 8 अराजकीय विद्यालयों की स्थाई मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1991–92 में उच्च विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

उच्च विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	1468	226	1694
गैर–सरकारी	351	59	410
कुल :	1819	285	2104

राज्य में उच्च शिक्षा सुविधा 2.35 कि0मी की परिधि में उपलब्ध है। रिपोर्टाधीन अवधि में उच्च विद्यालयों तथा उच्चतर स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	7,72,219	4,79,090	12,51,309
स्तर अनुसार	2,26,759	1,33,278	3,50,037

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	1,39.447	75,753	2,15,200
स्तर अनुसार	32,577	12,471	45,048

वर्ष 1990–91 में 14–15 आयु वर्ग के पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार थी :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्रों की प्रतिशतता	64.9	34.5	49.5
अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या	49.1	18.4	33.6

वर्ष 1990–91 में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	21523	14601	36124
स्तर अनुसार	11547	5957	17504

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	881	181	1062
स्तर अनुसार	372	70	442

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में 72 राजकीय उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किया गया। वर्ष 1990–91 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	217	51	268
गैर–सरकारी	93	24	117
कुल :–	310	75	385

वर्ष 1991–92 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	283491	138906	422399
स्तर अनुसार	95818	40135	135953

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	37441	12063	49504
स्तर अनुसार	12076	2912	14988

वर्ष 1991-92 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	6649	5780	11829
स्तर अनुसार	2011	1095	3106

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	139	59	198
स्तर अनुसार	44	16	60

छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की भी निःशल्क शिक्षा दी जाती है। हरिजन/विमुक्त/टपरीवास जनजाति के छात्रों/छात्रों को छठी से आठवी कक्षा तक 40/— रु० तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक 60/-रु० प्रति छात्र/छात्रा को लेखन सामग्री क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। वर्ष 1991-92 में इस योजना पर 60.00 लाख रुपये खर्च हुए तथा 1,03,000 छात्र/छात्राओं को लाभ पहुंचाया। कक्षा 6-8 में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की तथा कमजोर वर्ग की छात्राओं को 50/—रु० प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराने हेतु 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई तथा 60,000 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को 75/-रु० प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी तथा चुन्नी दुपट्टा देने हेतू 4.50 लाख रुपये खर्च किया गया तथा 6000 छात्रायें लाभान्वित हुई।

माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की हुई है तथा इससे अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाती हैं। छठी से आठवीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्लान तथा नान प्लान पक्ष पर 13.50 लाख रुपये की व्यवस्था है तथा इसी प्रकार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 10.50 लाख रुपये की व्यवस्था है। इस राशि से इस वर्ग के सभी सुयोग्य छात्र/छात्राओं को यह सुविधा दी जा रही है।

दोहरी पारी प्रणाली

राज्य के कुछ विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली भी चलती हैं। क्योंकि कई विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक हो जाती हैं। अतः उन विद्यालयों में एक पारी दोपहर से पहले पढ़ती है तथा दूसरी पारी दोपहर के बाद पढती है।

सहशिक्षा की नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है, वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

विशेष कोचिंग कक्षायें

नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिए विशष कोचिंग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों के बराबर आ सके। वे कक्षाएं आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या होनी चाहिए। इसके लिए वर्ष 1991–92 में 17.64 लाख रुपये खर्च किये गए।

अध्याय तीसरा

छात्रवृति तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को जो शिक्षा के भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-2 योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुये अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

योग्यता छात्रवृति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर 10/-रु प्रति मास की दर सें योग्यता छात्रवृति दी जाती है। यह छात्रवृति छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है। वर्ष 1991-92 सें 4014 छात्रों को छात्रवृतियां दी गईं तथा 14.45 लाख रुपये खर्च किये गये।

(ख) आठवीं की परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में 15-/रु० मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है। वर्ष 1991-92 में 3218 छात्रों को छात्रवृतियां दी गई तथा इस पर 11.59 लाख रुपये खर्च हुये।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां

देश के विभिन्न सैनिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले 546 हरियाणवी छात्रों पर छात्रवृतियां एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 31.12 लाख

रुपये व्यय किये गये। वर्ष 1990–91 में 536 छात्रों पर 30.18 लाख रुपये व्यय किये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य छात्र/छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृतियां

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 10 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती हैं। ये छात्रवृतियां प्राप्त करने वाले छात्रों में से जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उन्हें 100/–रुपये प्रति मास तथा डे स्कोलरस को (जो छात्रावास में नहीं रहते) जो नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें 30/-रु० प्रति मास और ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा में पढ़ने वालों को 60/–रु० प्रति मास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 1991–92 में इसके लिए 5.83 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त/टपरीवास जाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी सभी स्कीमों के लिये राशि निदेशक अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जुटाई जाती है। शिक्षा विभाग केवल इन्हें कार्यान्वित करता है। यह योजना निम्नलिखित है :–

1. पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा और छात्र-वृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं से बाहरवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के उन विद्यार्थियों को 20/–रु० प्रति छात्र प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 1991–92 में इस योजना पर 106.77 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई तथा 41000 छात्रों को लाभ पहुंचाया। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 88.52 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 30000 छात्रों को लाभान्वित किया।

2. अनुसूचित जाति की छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में अनुसूचित जाति के सभी छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। इस योजना के अधीन नौवीं से बाहरवीं कक्षाओं तथा विभागीय कोर्सों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक आय कर दाता नहीं है क्रमशः 20/– रु० से 30/– रु० मासिक दर से छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 1991–92 में इस योजना में 141.57 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 42000 छात्रों को लाभ पहुंचाया। वर्ष 1990–91 में इस योजना पर 121.05 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 37000 छात्रों को लाभ पहुंचाया।

छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 15/- रु० प्रतिमाह की दर से वजीफा दिया जाता है। इस योजना पर वर्ष 1991–92 में में 156.00 लाख रुपये व्यय किये तथा 86000 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

3. विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृति देना

विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृति के लिए अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। इस योजना के अधीन छठी कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विमुक्त/टपरीवास जाति के बच्चों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृति छठी से आठवीं कक्षा तक 15/– रु० मासिक दर से तथा नौवीं से 12वीं कक्षा तक 16/– रुपये मासिक दर से दी जाती है। वर्ष 1991-92 में इस छात्रवृति के लिये 2.12 लाख रुपये की व्यवस्था की तथा 700 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया। वर्ष 1990–91 में इस योजना पर 3.34 लाख रुपये खर्च हुये तथा 750 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

4. अनुसूचित जाति की छात्राओं को योग्यता छात्रवृति योजना

इस योजना के अधीन प्रत्येक जिले में पांच छात्रवृतियां नौवीं कक्षा में

दी जाती हैं। ये छात्रवृतियां मिडल स्तरींय परीक्षा के आधार पर दी जाती हैं, तथा दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में भी जारी रहती हैं। ये छात्रवृतियां नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 80/–रु०, 100/–रु० 120/–रु० और 140/–रु० प्रति मास की दर से दी जाती हैं। वर्ष 1991–92 में इस योजना पर 6.10 लाख रुपये व्यय हुये तथा 600 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

5. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृति

यह योजना वर्ष 1991-92 में आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के बच्चों को जो अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए हैं छात्रवृति दी जाती है। यह छात्रवृति छठी से आठवीं तक 40/- रुपये प्रतिमाह की दर से तथा नौवीं से 10वीं तक 50/- प्रतिमाह की दर से 10 मास के लिए दी जाती है। वर्ष 1991-92 में इस छात्रवृति के लिए 7.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

6. तेलुगू पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृतियां

हरियाणा राज्य में तेलुगू भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/–रु० प्रति मास की दर से छात्रवृतियां दी जाती हैं। इस के अन्तर्गत सातवीं कक्षा में 3 छात्रवृतियां दी जाती हैं जो आठवीं कक्षा में भी जारी रहती हैं। वर्ष 1991–92 में इसके लिये 24480/–रुपये की व्यवस्था की गई।

अध्याय चौथा

विविध

शिक्षक प्रशिक्षण

वर्ष 1988-89 में 6 संस्थान मोहड़ा (अम्बाला) बिरही कलां (भिवानी) इक्कस (जीन्द) महेन्द्रगढ़, मदीना (रोहतक) डींग (सिरसा) में स्थापित करने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इन सभी स्थानों पर भवनों का निर्माण या तो पूरा हो गया है या चल रहा है। इनमें प्राथमिक अध्यापकों के प्री सर्विस प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

इस अवधि में हरियाणा राज्य में निम्न अंकित संस्थाओं में डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं ओ0 टी0 की कक्षायें चल रही है।

क्रमांक	संस्थान का नाम		डी. एड.	ओ.टी.
1.	रा0प्रा0पा0अ0प्र0 संस्थान फिरोजपुर नमक (गुड़गांव)		50	—
2.	—सम—	मोरनी हिल	50	—
3.	—सम—	लोहारु (भिवानी)	50	—
4.	—सम—	मिट्ठी सुरेरा (सिरसा)	50	—
5.	—सम—	ओढ़ा (सिरसा)	50	—
6.	जि0शि0 एवं प्र0सं0 गुड़गांवा		25	25 (हिन्दी)
7.	—सम—	सोनीपत	25	25 (संस्कृत)

वर्ष 1991-92 में 1344 प्राथमिक अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

विद्यालय भवनों की देखभाल

सरकार ने वर्ष 1991–92 में राजकीय विद्यालयों में भवनों की मुरम्मत/अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतू एक नई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक की राशि के कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं। इससे अधिक राशि के कार्य पी0 डब्ल्यू डी0 द्वारा ही करवायें जायेंगे। इस नई योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर उपलब्ध विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को तथा शिक्षा विभाग के बजट में उपलब्ध राशि को जिला स्तर पर जमा भवन निधि पूल मनी के साथ कमेटियों द्वारा खर्च किया जाता है। यह समस्त कार्य जिला स्तर पर बनाई गई कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में हो रहा है।

नये भवन निर्माण

इस स्कीम के *अन्तर्गत 31-3-92 तक जिला शिक्षा अधिकारियों* से प्राप्त सूचना अनुसार 324 विद्यालय भवनों की मुरम्मत तथा 41 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 557 विद्यालयों भवनों की मुरम्मत तथा 110 कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विद्यालय भवन निधि में संशोधन

इसके अतिरिक्त वर्ष 1989–90 में भवन निधि नियमावली में संशोधन करके मुख्याध्यापकों/प्राध्यापकों को ऐसी शक्तियां प्रदान कीं जिसके अनुसार वे अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार विद्यालय भवनों की मुरम्मत/निर्माण के कार्य करवा सके ताकि विद्यालय भवन आकर्षक लगे। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को 5000/–रु०, मिडल विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को 8000/–रु० तथा उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापकों/प्रधाचानार्यों को 10,000/–रु० तक की राशि विद्यालय भवन निधि नियमावली के अन्तर्गत गठित की गई कार्यकारिणी समिति की देख रेख में खर्च करने की क्षमता प्रदान की गई है। अब भवन निधि की 70 प्रतिशत

राशि विद्यालयों में एकत्रित होगी तथा शेष 30% राशि जिला स्तर पर एकत्रित की जायेगी।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है। विद्यालयों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के विषयों में शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त तेलुगु की शिक्षा की सुविधा भी 35 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या विद्यालय में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्यक से सम्बन्धित हों तो वे अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं परन्तु पंजाबी तथा उर्दू के लिए विद्यार्थियों की यह संख्या किसी कक्षा के लिए 8 तथा किसी विद्यालय के लिए 30 है।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हों, आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है। इस राशि में से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवा निवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा उनके लम्बे समय की बीमारी पर भी सहायता देता है। कार्यरत अध्यापकों को उनकी बीमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायता देता है। वर्ष 1991–92 में अध्यापक कल्याण कोष से अध्यापकों के परिवारों को 4,70,000/– रु० की राशि सहायता के रूप में वितरित की गई।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

शिक्षा के स्तरोन्नत, विधिशोध, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की हुई है। अपने जन्मकाल से ही यह परिषद अपनी विशिष्ट तथा विविध कार्यकलापों में संलग्न इकाइयों के माध्यम से राज्य के शैक्षिक वातावरण को समयानुसार करने के लिए यथासंभव प्रयासरत है।

कम्प्यूटर लिटरेसी

राज्य में कम्प्यूटर लिटरेसी कार्यक्रम 68 विद्यालयों में चल रहा है। इन विद्यालयों में 8 केन्द्रीय विद्यालय भी हैं। इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये भारत सरकार केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालयों को 3500/-रु0 के कंटीं जैन्ट ग्रांट देना है। जो विद्यालय कम्प्यूटर लिटरेसी के अधीन आते हैं उनमें तीन-तीन प्राध्यापकों को कम्प्यूट लिटरेसी का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है और इस परियोजना को सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

पाठ्य पुस्तक अनुभाग

समीक्षाधीन अवधि में निदेशालय के पाठ्य पुस्तक कक्ष द्वारा आगामी वर्ष 1992-93 हेतु स्कूली पाठ्य पुस्तकों के 54 टाईटल्ज छपवाने का मुद्रणादेश दिया गया। प्रैस को मुद्रणादेश देते समय निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा गया जिससे संदर्भित वर्ष 1992-93 में कहीं भी किसी चरण में छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की कमी न हो और वर्षअवधि पश्चात डिपुओं/पाठ्य पुस्तक भन्डारों में अधिक शेष स्टाक न बचे जो तदपश्चात सरकार के लिए अनावश्यक वित्तीय हानि का कारण बने। तकनीकी तौर पर इस आशय हेतु मुद्रणादेश देते समय गत वर्षों की पाठ्य पुस्तकों की औसत बिक्री, वर्ष 1991-92 के लिए 1990-91 का बचा पुस्तक स्टाक, तथा वर्ष 1992-93 की सम्भावित छात्र संख्या का आंकलन किया जाता है।

प्राथमिक स्तर के लिए शैक्षिक वर्ष 1992-93 में मुद्रण विभाग के कुल 14 पाठ्य पुस्तकों को मुद्रणदेश दिया गया था। इन सभी पुस्तकों (टाईटल्ज)

का समग्र सीमा में मुद्रण करवाया गया और सभी की समीक्षा करके उनके बिक्री हेतु आदेश जारी किये गये।

माध्यमिक स्तर हेतु संदर्भित वर्ष 1992–93 में कुल 48 टाईटल्ज में से 40 टाईटल्ज का मुद्रणादेश दिया गया, जिन में से दो पुस्तकों चित्रकला का लम्बित रखा गया। शेष 38 टाईटल्ज में से 26 पुस्तकों के समीक्षा उपरान्त बिक्री आदेश भी जारी किये गये। 12 टाईटल्ज पर राजकीय प्रैस पंचकूला द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जानी शेष है जो शीघ्र ही करवा ली जायेगी तथा पुस्तकें बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध हो जायेंगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र में भी इस कक्ष ने महत्वपूर्ण कार्य किया है इसके अन्तर्गत राज्य के सभी स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर के छात्रों की पढ़ाई में समानता बनाये रखने के उद्देश्य से कक्षावार पाठ्यक्रम मासवार पुस्तिकाएं छपवाकर सभी स्कूलों में निशुल्क वितरित की है। एक नया विषय नैतिक शिक्षा पर सभी स्तरों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं वरिष्ठ) हेतु नया पाठ्यक्रम/मासवार चार्ट का निर्माण करवाया गया। वर्ष 1992–93 के आरम्भ में उसे भी छपवाकर राज्य के सभी स्कूलों में निशुल्क वितरित करवा दिया जायेगा। बाबा साहिब डा० भीमराव अम्बेदकर की जीवनी, शिक्षाएं एवं उनके जीवन सम्बन्धित विशेष घटनाओं पर आधारित पाठों का निर्माण भी करवाया गया। यह पाठ शीघ्र ही माध्यमिक स्तर तक की लगभग सभी कक्षाओं की निर्माणाधीन पुस्तकों में समायोजित करवा लिए जाएंगे और आशा अनुसार ये पुस्तकें वर्ष 1993–94 में छात्रों को उपलब्ध हो जायेंगी। सस्ती शिक्षा हल्का बस्ता की विभागीय नीति के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए अध्यापक संदर्शिका नाम से भिन्न-भिन्न विषय पर 4 पुस्तकों की रचना भी की गई। इन पुस्तकों को मुद्रण हेतु भेजा जा चुका है और आगामी वर्ष 1992–93 में यह सभी पुस्तकें राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में निशुल्क वितरित करवा दी जायेंगी, उपरोक्त के अतितिक्त गुरु जम्बेश्वर जी महाराजा की जीवनी एवं शिक्षाओं बारे भी सामग्री का निर्माण करवाया गया जिस बारे सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। यह सामग्री भी स्कूलों में सरकार के आदेशानुसार छात्रों को दी जायेगी। इनके अतिरिक्त राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गान एवं योग शिक्षा बारे भी कार्यवाही की गई।

माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए फर्नीचर

वर्ष 1991–92 में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए डयूल डैस्क की व्यवस्था करने के लिए 36 लाख रुपये की व्यवस्था की जो सभी जिलों में छात्रसंख्या के अनुसार वितरित कर दी गई।

विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उप मण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1990–91 में भी इन स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इसके लिए 33,000/–रु० की राशि स्वीकृत की गई।

एन०सी०सी०

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये नियमों के अनुसार एन०सी०सी० परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल तथा वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में केडिटस को दिया जाता है। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन०सी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं। इस प्रशिक्षण को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिल कर करती हैं। विद्यालयों के छात्रों के लिए स्थापित जूनियर डिविजन के कैडिटों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

	कैडिट स्वीकृत संख्या
1. इन्फेंटरी बटालियन (लड़कों के लिए)	13650
2. इन्फेंटरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	1000
3. जल विंग	450
4. वायु विंग	1450

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

हरियाणा राज्य में वर्ष 1990–91 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बन्द किया गया, केवल कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था। राज्य के पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत पानीपत जिले में साक्षरता अभियान

चलाया गया है । यह कार्यक्रम जुलाई 1991 से अक्तूबर 1992 की अवधि के लिए है जिसके अन्तर्गत 2 लाख प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया । इस पर केन्द्र सरकार द्वारा 81.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया । यह अभियान ज्ञान विज्ञान समिति पानीपत द्वारा जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है ।

श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

फरीदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए एक श्रमिक विद्यापीठ स्थापित है । इसका उद्देश्य औद्योगिक कुशल/अर्ध कुशल श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है ।

राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य सामग्री तैयार करने तथा उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र कार्यरत है । उसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

विद्यालय क्रीड़ा

वर्ष 1991–92 में हरियाणा राज्य की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में 80 स्वर्ण, 34 रजत तथा 14 कांस्य पदक प्राप्त किये ।

एन0 एस0 एस0

छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य के वरि ... भी यह योजना चल रही है । वर्ष 1991–92 में ... द्यालयों में यह योजना चल रही थी जिसमें स्वीकृत ... 000 थी ।

NIEPA DC
D08961

23124—D.P.T.—H.G.P., Chd.

... DOCUMENTATION CENTRE
...l Institute of Educational
...g and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No.......D-8961
Date.......9-1-96